मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग

क्रमांक// 03/1258/82/नि-1/चार — भोपाल, दिनांक 23 अगस्त82.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय:- गलत वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली ।

महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ने इस विभाग के ध्यान में यह लाया है कि, कतिपय विभागों में अभी भी ऐसे प्रकरण लंबित है जिनमें एकीकृत/पुनरीक्षित/ पांडे वेतन मानों में गलत वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली के संबंध में विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्यवाही नही की गई है । इस स्थिति में इन प्रकरणों में चौधरी वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतनमान लागू होने पर वेतन निर्धारण में कठिनाई उपस्थित हो सकती है । अत: आपसे निवेदन है कि, एकीकृत/पुनरीक्षित एवं पांडे वेतन मानों में गलत वेतन निर्धारण के परिणाम स्वरूप शासकीय सेवकों से यदि कोई अधिक भुगतान की गई राशि वसूली योग्य निकलती है तो उस संबंध में यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर उन प्रकरणों को नियमित करें ।

sd/- 23/8/82
(अरुण भटनागर)
विशेष सचिव.

पृ०क्र०// 04/1258/82/नि-1/चार — भोपाल, दिनांक 23 अगस्त,82.

प्रतिलिपि:-

सचिव/सैनिक सचिव, राज्यपाल महोदय; मध्यप्रदेश, भोपाल
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर
नियंत्रक, शासन मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल
राज्य सतर्कता आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
अवर सचिव (स्थापना) मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल
अवर सचिव (अधीक्षण) मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल

लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल
समस्त वित्त अधिकारी/लेखाधिकारी/कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं मार्गदर्शन* के लिये अग्रेषित ।

2/ महालेखाकार मध्यप्रदेश/ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

3/ सचिव, विधानसभा सचिवालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

4/ निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

* (प्रथम) की ओर उनके पृष्ठांकन क्रमांक पी•एफ•1/572, दिनांक 24-3-82 के संदर्भ में ।

(डी०ना०सोनी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग•

जागनी
19382•